

**कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा, म0प्र0**

**पीठासीन अधिकारी - (रूप सिंह कनेल)**

**-:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक 30.01.2024 ::-**

श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री जे0एम0एफ0सी0 रीवा एवं श्री हीरालाल अलावा जे0एम0एफ0सी0 सिरमौर जिला रीवा की पदोन्नति हो जाने के कारण मैं **रूप सिंह कनेल**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा(म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा (14) व (15) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मूल कार्य विभाजन आदेश दिनांक **01.05.2023** में जिला मुख्यालय रीवा के क0-03 में एवं संशोधित कार्य विभाजन आदेश दिनांक 12.08.2023 तहसील सिरमौर के क0-03 में संशोधन करते हुए जिला मुख्यालय रीवा के क0-03 में से आरक्षी केन्द्र **समान** एवं तहसील न्यायालय सिरमौर जिला रीवा के क0-03 में से आरक्षी केन्द्र **सिरमौर एवं गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित** को विलोपित कर निम्नानुसार संशोधित आदेश प्रसारित करता हूं, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

| जिला मुख्यालय रीवा |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1.                 | <b>श्री अक्षत तयाल</b><br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी रीवा | <b>समान</b><br><br>1. पुलिस थाना <b>सिटी कोतवाली, बिछिया, गोविंदगढ़</b> के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशांगिक कार्यवाहिया।<br><br>2. पुलिस थाना <b>चोरहटा एवं समान</b> के अंतर्गत उत्पन्न क्षेत्राधिकारिता वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।<br><br>3. पुलिस थाना <b>चोरहटा एवं समान</b> के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।<br><br>4. पुलिस थाना <b>समान</b> के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर) |

|                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
|                          |  |                          | 5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाण्डिक प्रकरण।  |
| <b>तहसील सिरमौर सीवा</b> |  |                          |  |
| 2.                       | श्री अल्लमस रहमान,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, सिरमौर | सिरमौर एवं<br>बैकुण्ठपुर | <p>1. पुलिस थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत दाण्डिक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. आबकारी वृत्त सिरमौर के आबकारी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण, परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर</p> <p>5. पुलिस सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दं.प्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>6. तहसील सिरमौर के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य एवं अनुशांगिक कार्यवाहियां।</p> <p>7. पुलिस थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉकॉटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>8. पुलिस थाना सिरमौर एवं बैकुण्ठपुर के</p> |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    |   |   | <p>अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>9. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाण्डिक प्रकरण।</p>  |
| 03 | <p><b>श्री अमित कुमार शर्मा</b><br/>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br/>प्रथम श्रेणी, सिरमौर</p> | <p><b>सेमरिया एवं गढ़ (तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित)</b></p> | <p>1. पुलिस थाना <b>सेमरिया एवं गढ़ (तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित)</b> के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। परंतु आवकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना <b>सेमरिया एवं गढ़ (तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित)</b> के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना <b>सेमरिया एवं गढ़ (तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित)</b> के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस <b>सेमरिया एवं गढ़ (तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित)</b> के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दं.प्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. पुलिस थाना <b>सेमरिया एवं गढ़ (तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित)</b> के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>6. पुलिस थाना <b>सेमरिया एवं गढ़ (तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित)</b> क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक</p> |

(4)

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | अधिनियम 2006,                               |
|  |  | 7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दार्ष्टिक प्रकरण। |

**नोट:-** मूल कार्यविभाजन पत्रक दिनांक 01.05.2023 के अनुलग्न-अ एवं अनुलग्न-ब में जहां-जहां श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री, जेएमएफसी रीवा का नाम है वहां श्री अजय नागेश जेएमएफसी रीवा को प्रतिस्थापित किया जाता है, इसी प्रकार तहसील सिरमौर के संबंध में अनुलग्न-अ में जहां-जहां श्री हीरालाल अलावा जेएमएफसी सिरमौर का नाम है, वहां अमित कुमार शर्मा जेएमएफसी सिरमौर को प्रतिस्थापित किया जाता है एवं अनुलग्न-ब के संबंध में अपने थाने के क्षेत्राधिकार को छोड़कर अमित कुमार शर्मा जेएमएफसी एवं श्री अल्लमश रहमान जेएमएफसी सिरमौर कार्यवाही करेंगे।

रीवा, दिनांक- 30.01.2024

(रूप सिंह कनेल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
रीवा (म.प्र.)

**प्रतिलिपि:-**

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा (म.प्र.)
2. सुश्री / श्री.....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा / मउगंज / सिरमौर / त्योथर / हनुमना / मनगवां को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, रीवा (म.प्र.) की ओर से संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा, जिला-रीवा।

(रूप सिंह कनेल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
रीवा (म.प्र.)

(सुबोध कुमार जैन)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म.प्र.)